



-प्रेस नोट-

दिनांक: 02-04-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 हिस्ट्रीशीटर व टाप-10 अपराधी दौराने पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध मस्कट / 04 जिंदा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियन्त्रण, अवैध अस्लहो के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 01.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा हिस्ट्रीशीटर अपराधी कल्बे हसन उर्फ जैकब हसन पुत्र आले हसन निवासी ग्राम हलवाना थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को बाद पुलिस मुठभेड़ ग्राम नाईमाजरा के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अवैध मस्कट/ 04 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0सं0-124/24 धारा 307 भा.द.वि व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि जो मस्कट पुलिस टीम ने मुझसे बरामद की है उसे मैं आस पास के लोगो पर रोब गालिब करने व अपनी सुरक्षा के लिए रखता हूँ।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त का नाम व पता-

कल्बे हसन उर्फ जैकब हसन पुत्र आले हसन निवासी ग्राम हलवाना थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 मस्कट 315 बोर
- 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 195/96 धारा 396/412 भा.द.वि थाना गंगोह सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 261/96 धारा 364 भा.द.वि थाना गंगोह सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 272/96 धारा 379/411 भा.द.वि थाना गंगोह सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 305/96 धारा 302 भा.द.वि थाना नकुड सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 320/96 धारा 147/148/149/307 भा.द.वि थाना नकुड सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 336/2001 धारा 452/307 भा.द.वि थाना गंगोह सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 17/2002 धारा 302/201/34 भा.द.वि थाना गंगोह सहारनपुर

8. मु0अ0सं0 212/2002 धारा 3 यूपी गुण्डा अधि0 थाना गंगोह सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 364/2002 धारा 3 यूपी गुण्डा अधि0 थाना गंगोह सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 332/2003 धारा 3 यूपी गुण्डा अधि0 थाना गंगोह सहारनपुर
11. मु0अ0सं0- 230/2007 धारा 420/379/506 भा.द.वि थाना गंगोह सहारनपुर
12. मु0अ0सं0 214/2009 धारा 323/324/452/504/506 भा.द.वि 3(1)10 एससी एसडी एक्ट गंगोह
13. मु0अ0सं0 494/2010 धारा 3 यूपी गुण्डा अधि0 थाना गंगोह सहारनपुर
14. मु0अ0सं0-136/12 धारा 307/323/504/506 भा.द.वि व 3(1) 10 एससी एक्ट थाना गंगोह
15. मु0अ0सं0 136/2012 धारा 307/323/504/506 भा.द.वि व 3(1) 10 एससीएसटी एक्ट थाना गंगोह
16. मु0अ0सं0 197/2014 धारा 323/324/452/504/506 भा.द.वि 3(1)10 एससी एसटी एक्ट थाना गंगोह सहारनपुर
17. मु0अ0सं0 671/2016 धारा 147/148/149/427 भा.द.वि थाना गंगोह सहारनपुर
18. मु0अ0सं0 125/2020 धारा 452/406/504/506 भा.द.वि थाना गंगोह सहारनपुर
19. मु0अ0सं0 179/2020 धारा 379/506 भा.द.वि थाना गंगोह सहारनपुर
20. मु0अ0सं0 685/2020 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना गंगोह सहारनपुर
21. मु0अ0सं0-327/20 धारा 379/411 भा.द.वि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
22. मु0अ0सं0 346/2020 धारा 379/411/120बी भा.द.वि व 2/3 लोक सम्पत्ति अधि0 थाना गंगोह
23. मु0अ0सं0 290/21 धारा 325/324/323/504/506 भा.द.वि थाना गंगोह सहारनपुर
24. मु0अ0सं0 85/22 धारा 147/504/447/307/387 भा.द.वि थाना गंगोह सहारनपुर
25. मु0अ0सं0 109/22 धारा 147/148/452/323/447/341/506/352/504 भा.द.वि थाना गंगोह सहारनपुर
26. मु0अ0सं0 233/22 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना गंगोह सहारनपुर
27. मु0अ0सं0-124/24 धारा 307 भा.द.वि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 संजय कुमार शर्मा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0कां0 362 अमित कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. है0कां0 322 मोनू थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. कां0 922 वंश थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
6. कां0 1839 सन्नी कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 02-04-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 45 पाउच अवैध देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु नशीले/मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बिहारीगढ श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.04.2024 को चैकिंग के दौरान थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा एक शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **विपिन काम्बोज पुत्र राजेश काम्बोज निवासी तोताटाण्डा थाना बिहारीगढ सहारनपुर** को गुरुद्वारा के सामने सडक पर नजदीक इन्टर स्टेट बोर्डर कस्बा बिहारीगढ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 45 पाउच अवैध देशी शराब महबूबा मार्का बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना बिहारीगढ पर **मु0अ0सं0 64/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विपिन काम्बोज पुत्र राजेश काम्बोज निवासी तोताटाण्डा थाना बिहारीगढ सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 159/2020 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 355/2019 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 64/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

45 पाउच अवैध देशी शराब महबूबा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री इन्द्रजीत सिंह थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर।
2. का0 699 अशोक कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 02.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, कब्जे से 10

बोतल देशी शराब बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एवं मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी व रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.04.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा एक शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **जावेद उर्फ शेरु पुत्र मौ0 अहमद नि0 मौ0 जनकनगर इन्द्रबस्ती खानआलमपुरा सपना टाकीज के पास थाना जनकपुरी सहारनपुर** को इन्द्रा कैम्प कालोनी को जाने वाले पुल से सपना पुल की तरफ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 10 बोतल रसीला संतरा मसालेदार देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली नगर सहारनपुर पर **मु0अ0सं0 75/24 धारा 63 आबकारी अधिनियम** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त जावेद उर्फ शेरु उपरोक्त ने बताया कि साहब मैं यह शराब हरियाणा से सस्ते दाम में खरीदकर लाता हूँ और इसे मैं अपने मौहल्ले में महगें दामो में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। आज भी मैं यह शराब हरियाणा राज्य से खरीदकर लाया था कि पुलिस द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

जावेद उर्फ शेरु पुत्र मौ0 अहमद नि0 मौ0 जनकनगर इन्द्रबस्ती खानआलमपुरा सपना टाकीज के पास थाना जनकपुरी सहारनपुर

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0- 199/22 धारा 380/411 थाना को0नगर सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

10 बोतल रसीला संतरा मसालेदार देशी शराब हरियाणा मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

- उ0नि0 जोनसन कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
- कां0 2330 सचिन कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।



दिनांक: 02.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 44 पाउच अवैध देशी शराब महबूबा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें सलित्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बिहारीगढ श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.04.2024 को दौराने चैकिंग थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त सुखपाल उर्फ पाटी पुत्र विशंभर निवासी कोठडी बहलोलपुर थाना बिहारीगढ सहारनपुर** को कोठडी बहलोलपुर बैरियर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 44 पाउच अवैध देशी शराब महबूबा मार्का बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना बिहारीगढ पर **मु0अ0सं0 63/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त सुखपाल उर्फ पाटी उपरोक्त ने बताया कि मैं शराब के ठेके से शराब खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक दामों पर बेच देता हूँ। जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुखपाल उर्फ पाटी पुत्र विशंभर निवासी कोठडी बहलोलपुर थाना बिहारीगढ सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

4. मु0अ0सं0 84/2005 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 84/2010 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 126/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 135/2022 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 63/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

- 44 पाउच अवैध देशी शराब महबूबा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रोबिन राठी थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर।
2. का0 2226 अमित कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।
3. का0 2201 विपन कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 02.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01

नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.04.2024 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा एक शातिर अपराधी **साहिल उर्फ गोली पुत्र इकलाख निवासी चाहमन्जली कस्बा व थाना नानौता जिला सहारनपुर** को रुहाडे से कब्रिस्तान वाले रास्ते पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त साहिल के कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना नानौता पर मु0अ0स0 78/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं लोगो को डराने धमकाने व गलत काम करने के लिये अपने पास चाकू रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

साहिल उर्फ गोली पुत्र इकलाख निवासी चाहमन्जली कस्बा व थाना नानौता जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

01 नाजायज चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. है0का0 250 कविन्द्र थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. एचजी 2030 जीशान थाना नानौता जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 02.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 20

लीटर शराब खाम बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें सलित्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.04.2024 को चैकिंग के दौरान थाना नानौता पुलिस टीम एक शराब तस्कर **जोनी पुत्र देवी सिंह निवासी राजीव गाँधी कालोनी कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को रेलवे स्टेशन रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त जोनी उपरोक्त के कब्जे से 20 लीटर शराब खाम बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नानौता पर मु0अ0स0 79/24 धारा 60(1) आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त जोनी उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं पुलिस से लोगो को शराब को अधिक दामो मे बेचकर मुनाफा कमाता हूँ कि पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जोनी पुत्र देवी सिंह निवासी राजीव गाँधी कालोनी कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

20 लीटर शराब खाम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- उ0नि0 विजेन्द्रपाल सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
- उ0नि0/यू0टी0 समीर कुमार सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर



दिनांक: 02.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज

चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा एक शातिर अभियुक्त **नोशाद पुत्र तन्सुर निवासी झुग्गी झोपडी खलासी लाइन थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर** को एक्सिस बैंक से मुर्गा मार्केट की तरफ सडक के मोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर **मु0अ0सं0 198/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त नोशाद उपरोक्त ने बताया कि मुझे नशे की लत है। जिसकी पूर्ति के लिए मैं यहाँ एटीएम के आस पास से लोगो की जेब से रुपये निकाल लेता हूँ। तथा चाकू पकड़े जाने पर डराकर भाग निकलने के लिए अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

नोशाद पुत्र तन्सुर निवासी झुग्गी झोपडी खलासी लाइन थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 190/2023 धारा 379/411 भादवि0 थाना रामपुर मनिहरन सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 192/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व 379/411 भादवि0 थाना सरसावा सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 223/2022 धारा 302/504/506 भादवि0 व 379/411 भादवि0 थाना सरसावा सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 198/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

➤ 01 नाजायज चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र सिंह थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. है0 का0 881 धीरज कुमार थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।



दिनांक: 02.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण/अवैध शस्त्रों की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना आज 02.04.2024 को नल्हेडा तिराहा गांव दुमझेडा से 01 शातिर अभियुक्त **बिलाल पुत्र मौ0 फारूख उर्फ काला निवासी मौ0 जाकिर हुसैन कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से **01 नाजायज चाकू** बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर **मु0अ0स0 80/2024 धारा 4/25 आर्मस एक्ट** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त बिलाल उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं यह चाकू अपने दोस्तों / आस पड़ोस के लोगों में रोब जमाने के लिए रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्तका नाम पता:-

बिलाल पुत्र मौ0 फारूख उर्फ काला निवासी मौ0 जाकिर हुसैन कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास:-

➤ मु0अ0स0 198/18 धारा 3/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर।

बरामदगी-

➤ एक चाकू नाजायज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 सुरेश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. हे0का0 246 हेमन्त कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. का0 1821 टिकु यादव थाना चिलकाना सहारनपुर।